**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या : 64**

**उत्तर देने की तारीखः 27.07.2015**

**अल्पसंख्यक शिक्षा पर अंकुश**

**\*64. श्रीमती कनक लता सिंहः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में दी जा रही शिक्षा पर अंकुश लगाने के मामले सामने आए हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संविधान का अनुच्छेद 30(1) के अंतर्गत किया गया उपबंध धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छा के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसका प्रबंध करने का अधिकार देता है, तो फिर अल्पसंख्यकों की शिक्षा के मामले में बाधाएं उत्पन्न करना क्या मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

मानव संसाधन विकास मंत्री

**(**श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

**(क) और (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।**

\*\*\*\*\*

**‘अल्पसंख्यक शिक्षा पर अंकुश’ के संबंध में श्रीमती कनक लता सिंह द्वारा दिनांक 27.07.2015 को राज्‍य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 64 के भाग (क) और (ख) के उत्‍तर में उल्लिखित विवरण।**

(क) और (ख): राज्‍यों ने ऐसे किसी भी मामले की सूचना नहीं दी है। नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम, 2009 को 01 अगस्‍त, 2012 को संशोधित किया गया था ताकि यह स्‍पष्‍ट किया जा सके कि उक्‍त अधिनियम के उपबंध नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए भारत के संविधान की धारा 29 तथा 30 के प्रावधानों के अध्‍यधीन लागू होंगे और इस अधिनियम में निहित कोई भी प्रावधान मदरसा, वैदिक पाठशालाओं तथा मुख्‍यत: धार्मिक अनुदेश प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्‍थानों पर लागू नहीं होंगे।

\*\*\*\*\*